**Government of Jharkhand**
**Commercial Taxes Department**

Letter No. Va. Kar/GST/12/2017- 45 Ranchi, Date: 04.01.18

# Corrigendum

In the notification No S.O-50 (State Tax), Dated- 29.06.2017 of Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand Published in the Gazette of Jharkhand,

1. In paragraph 1 "in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 10 of the said Act" shall be substituted as "at the rate of,-
   (i) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer.
   (ii) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and
   (iii) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers:"

2. In paragraph 2 "Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the State specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, he shall be eligible to exercise the above the option if his aggregate turnover in preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees." shall be deleted.

3. This notification shall be deemed to be effective from 25th June 2017.

4/1/18

**(K. K. Khandelwal)**
Principal Secretary cum Commissioner

# झारखंड सरकार
## वाणिज्य–कर विभाग

ज्ञाप संख्या– वा0कर / GST / 12 / 2017– 45 /रॉची, दिनांक – 04.01.18

## शुद्धिपत्र

झारखंड सरकार, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना एस0 ओ0 50 – राज्य–कर, जिसे झारखंड के राजपत्र में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित किया गया था, में

1. पैराग्राफ 1 में "उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के प्रावधान के अन्तर्गत देय कर को संगणित कर भुगतान करने का पात्र होगा।" के स्थान पर "निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा।

(i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आर्वत का एक प्रतिशतः

(ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलों में राज्य में आर्वत का ढाई प्रतिशत; और

(iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशतः" पढ़े।

2. पैराग्राफ 2 में "परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति जो मालों एवं सेवाओं का करदेय आपूर्ति वैसे राज्यों से जो कि संविधान के अनुच्छेद 276। की कंडिका–4 की उपकंडिका (g) में विनिर्दिष्ट राज्य के अन्तर्गत आता हो एवं उनके पुरवर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 50 लाख रूपये से अधिक नही हो उनको उपर्युक्त विकल्प को प्रयुक्त करने की पात्रता होगी।" को विलोपित किया जाता हैं।

3. यह अधिसूचना 25.06.2017 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

(के0 के0 खण्ड़ेलवाल)
प्रधान सचिव–सह–आयुक्त